राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-3 अंक : छः वर्ष : 2007-2008 वि.सं. : 2064 बिक्री के लिये नहीं

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय
(माह जुलाई 2007 से सितम्बर 2007 तक)

परिवाद संख्याः 07/17/2634 में परिवादी की गरीबी की हालत को देखते हुए Executive Chairperson, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पैरवी हेतु नियमानुसार न्यायमित्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।

परिवाद संख्याः 07/17/2196 में जेल में विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक यातनाऐं दिए जाने व बंदी के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की शिकायत पर महानिदेशक (कारागार) से जवाब तलब किया गया।

परिवाद संख्याः07/17/2624 में मरीजों को अपने निजी चिकित्सक की निगरानी में, चैकअप करवाने हेतु पुलिस अधीक्षक, जयपुर दक्षिण, जयपुर को मरीजों के चैकअप इत्यादि करवाने व एम्बुलेंस हेतु पुलिस एस्कोर्ट मय महिला आरक्षी पहुंचाने की यथा समय व्यवस्था कराने हेतु लिखा गया।

परिवाद संख्याः 07/17/2166 में पुलिस अधीक्षक से यह अपेक्षा की गई कि वह समाज में चौथ वसूली जैसे आपराधिक कृत्यों के प्रति सजगता बनाये रखे और इस सम्बन्ध में कानून–व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करावें।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मुख दिनांक 30 जून, 2007 को 974 परिवाद विचाराधीन थे। चालू त्रेमास में 906 नये परिवाद प्राप्त हुये इनमें से 593 नये तथा 300 पुराने परिवादों का निस्तारण कर दिया। 30.9.2007 को 987 परिवाद शेष रहे।

परिवाद संख्याः 07/32/1521 में दलित एवं कमजोर वर्ग के श्रमिकों के मानव अधिकारों का हनन एवं लोक सेवकों की विधि विरूद्व कार्यवाही का मामला सामने आया। सचिव, खान विभाग, को आयोग के महानिरीक्षक, पुलिस की जांच रिपोर्ट का बिन्दूवार जवाब आयोग को भेजने हेतु लिखा गया।

परिवाद संख्याः07/17/2545 में जिला कलेक्टर, जयपुर को लिखा गया कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय *बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर. 1984) एस.सी. 802* में दिए गये निर्देशों की पालना में जिले के बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में निगरानी बनाये रखे और ऐसी परिस्थितियां पाये जाने पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करेंगे।

परिवाद संख्याः07/17/2547 में यह पाया गया कि शहर की मुख्य सडकों व गलियों में आवारा पशु आये दिन विचरण करते रहते है, जिस से कई बार दुर्घटनाऐं भी कारित हो जाती हैं। यहां तक कि सरकारी अस्पतालों, रेल्वे अस्पतालों आदि में भी कुत्ते आदि आवारा पशु विचरण करते है। जिस पर आयुक्त, नगर निगम, जयपुर को प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखा गया।

परिवाद संख्याः04/17/504 में आयोग द्वारा परिवाद के तथ्यों की वस्तुस्थिति की जानकारी चाहने पर यह संबंधित विभाग ने सूचित किया गया कि परिवादिया श्रीमती सरोज शर्मा प्रसाविका को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वारा 41677/– रूपये का भुगतान कर दिया गया है।

परिवाद संख्या:07/17/1367 में संबंधित हॉस्पीटल द्वारा परिवादी गोपी कालबेलिया की पत्नी का हार्ट वाल्व से सम्बन्धित आपरेशन दिनांक 9.7.2007 कर आयोग को सूचित किया गया।

आयोग की खण्डपीठ ने परिवाद संख्या:06/17/3156 में हिंगोनिया गौशाला में गायों के रखरखाव व उनकी चिकित्सा के सम्बन्ध में बडे स्तर पर सुधार की आवश्यकता जताई। जिसके लिए विभिन्न विभागो को लिखा कि वे पारस्परिक समन्वय बनाकर संवेदनशीलता से कार्य करें तथा गौवंश की रक्षा हेतु पेम्पलेट इत्यादि भी छपवायें। इसके अलावा नागरिकों का भी यह कर्त्तव्य माना कि वे सडकों पर पॉलिथीन की थैलियां इधर–उधर ना फेंके। इसके अलावा परिवाद संख्या:06/17/3156 में आम रास्तों पर आवारा पशुओं के विचरण करने से होने वाली गंदगी व दुर्घटनाओं की रोकथाम के मद्देनजर नगर निगम/सचिव स्वायत्तशासन विभाग को राज्य स्तर पर कार्यवाही करने का सुझााव दिया।

परिवाद सं. 07/17/620 में मैरिज हॉल मे आयोजित कार्यक्रमों के दौरान ध्वनि प्रसारक यंत्रों से तेज आवाज होने की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर व सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को लिखा गया कि वे *पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण रोकथाम नियम 2000 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.5.2005* की पालना में समय–समय पर उक्त स्थानों की मोनिटरिंग करते रहें।

परिवाद संख्या– 07/17/2694 में आयोग ने रोडवेज बसों मे व्याप्त गंदगी और धूम्रपान के बारे में प्रसंज्ञान लिया, जिस पर रा.रा.प.प.नि. ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोषी बस चालक को बस में धूम्रपान करने पर चेतावनी दी व बसों में गंदगी न फैले, इसके समुचित इंतजाम से आयोग को आश्वस्त किया।

परिवाद संख्या:07/17/2037, जो मृत्यु स्वत्व प्रकरण का मामला था, जिस में आयोग के आदेशानुसार परिवादिया मंजूदेवी को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने समस्त भुगतान हेतु पत्र जारी कर आयोग को सूचित किया।

एक सुझावात्मक परिवाद संख्या:07/17/1987, में दलित महिलाओं पर अत्याचार के परिप्रेक्ष्य में उनकी सामाजिक सुरक्षा, न्याय, पुलिस थानों में सुनवाई आदि के बारे में सुझााव दिए गये थे। जिसे राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

परिवाद संख्या:07/17/2626 में बंदरों द्वारा आतंक फैलाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम ने त्वरित कार्यवाही कर बंदरों को पकड कर आमजन को राहत पहुंचायी।

परिवाद संख्या:07/17/2266 में जनाना अस्पताल, जयपुर में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ/ छात्राओं के आवास हेतु शीघ्रातिशीघ्र माकूल इंतजाम करवाने के निर्देश जारी किए गये।

परिवाद संख्या: 07/17/1522 में कॉलोनी में तेजाब व प्लास्टिक फैक्ट्री लगा कर प्रदषण फैलाने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगने के दौरान सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने प्रदूषक उद्योगों को बन्द करने के निर्देश दिए तथा *अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0* एवं *अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग* को उक्त उद्योगों के विद्युत एवं जल सम्बन्ध विच्छेद करने के निर्देश भी दिए गये।

परिवाद संख्या: 06/17/2813 में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मरीजों की संख्या दिनोंदिन काफी तादाद में बढने, किन्तु इसी अनुपात में वांछित सुविधाऐं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति को देखते हुए मरीजों को ऐसी वांछित सुविधाऐं उपलब्ध न होना प्रथम दृष्टया उनके मानव अधिकारों के हनन की ताईद में माना।

इस सम्बन्ध में अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रमुखशासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर/ सचिव, चिकित्सा विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लिखा गया कि जन साधारण को समुचित स्वास्थ्य सेवाऐ उपलब्ध करावे। तथा यथासंभव रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

परिवाद संख्या:07/17/2149 में जयपुर स्थित विभिन्न क्लबों में क्लब बंद होने के निर्धारित समय से भी अधिक देर तक विभिन्न गतिविधियां चलने और इनके *Unethical activities* की श्रेणी में आने पर आयोग से श्रम विभाग से नियमावली की जानकारी लीं।

परिवाद संख्या:07/17/2309 में लालाराम द्वारा परिवादिया नानगी देवी का हाथ तोडने के मामले को आयोग ने मानव अधिकार का हनन माना, किन्तु दोषी के लोक सेवक ना होने के कारण परिवादियां को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करने का सुझाव दिया गया।

परिवाद संख्या:06/17/2973 के मामले में खण्डपीठ ने मृतक पाक बंदी मो0 जैनाद की मृत्यु के उपरान्त उसके शव को उसके परिजनो को सौंपे जाने अथवा अंतिम संस्कार किए जाने के बारे में जिला कलेक्टर से जानकारी चाही।

परिवाद संख्या 07/20/1143 में नगरपालिका पिडावा (झालावाड) से परिवादी/पीडित व्यक्ति को उसकी जमीन का पट्टा दिलवाया।

परिवाद संख्या 07/20/1046 में परिवादी श्री कालूराम लुहार को क्रेन मशीन का अटकाया हुआ भुगतान 48000/– रूपये करवाया गया।

परिवाद संख्या– 06/24/3080 में आयोग की आदेश की पालना में महानिदेशालय, कारागार, राज0 जयपुर ने समस्त उप महानिरीक्षक आदि को कारागार में बदियों के साथ मारपीट प्रताडना व जबरन कार्य करवाने, पैसा वसूल करने एवं आर्थिक शोषण की घटनाओं की रोकथाम के बारे में सुचारू व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया ।

परिवाद संख्या– 07/12/226 व 07/12/543 में आयोग के आदेशों की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक दौसा ने अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले दो पुलिसकर्मियों के विरूद्व 17 सी.सी.ए. की कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया।

परिवाद संख्या– 07/12/1626 में प्रकरण संख्या– 140/07 पुलिस थाना– नांगल राजावतान के मामले में अभियुक्त के विरूद्व चार्जशीट किता कर न्यायालय में दिनांक 17.5.2007 को चालान पेश कर आयोग को सूचित किया गया।

आयोग के माननीय अध्यक्ष ने त्रैमास के दौरान मानवाधिकारों की जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यकमों में भाग लिया, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार है:–

दिनांक 27 जुलाई 2007 को *Centre for Consumer Action, Research & Training* द्वारा 'Combating Corruption in Rajasthan State, india by Applying RTI Act as a Tool' के Inaugral session में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम में श्री एम.के.खन्ना, मेम्बर सेकेट्री राज्य सूचना आयोग ने भी भाग लिया।

दिनांक 29 जुलाई 2007 को *कन्ज्यूमर्स एक्शन एण्ड नेटवर्क सोसायटी*– महिला प्रकोष्ठ द्वारा खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से पिंकसिटी प्रेस क्लब सभागार में आयोजित *'महिला उपभोक्ता जागृति सम्मेलन'* में भाग लिया। इस सम्मेलन में श्रीमती सुमित्रा सिंह अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा के अलावा डा. अनन्त शर्मा संस्थापक केन्स, श्री के.पी.

धीर अध्यक्ष केन्स, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा अधिशाषी निदेशक, श्रीमती दीक्षिता पापडीवाल अध्यक्ष केन्स, श्रीमती रमा बजाज सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीमती सरिता सिंह अति0 आयुक्त खाद्य विभाग, श्रीमती सुषमा तंवर, श्रीमती ज्योति एवं श्री सुरेश व्यास अध्यक्ष उपभोक्ता संगठन आदि भी उपस्थित थे।

दिनांक 29 जुलाई 2007 को *चैम्बर ऑफ कामर्स* के 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में अंहिसा एवं मानवाधिकार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। जिसमें प्रो. नवीन बज सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

दिनांक 30 जुलाई 2007 को *गीता बजाज बाल मंदिर संस्थान जयपुर* द्वारा गुरू पूर्णिमा के पावन पर्व पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। जिसमें संस्था के अध्यक्ष श्री कोमल पाटनी, एवं श्री तेज करण जी डाण्डिया सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

दिनांक 7 अगस्त 2007 को 7 *राज इन्डेप कम्पनी एन.सी.सी.* द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण शिविर मे मानवाधिकार विषय पर व्याख्यान दिया गया। जिसमें 600 एन.सी.सी. केडेट्स सहित श्री राधेश्याम ले. कर्नल कमान व श्री ओमप्रकाश शर्मा एन.सी.सी. ऑफिसर उपस्थित रहे।

दिनांक 7 सितम्बर 2007 को *भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान* द्वारा केन्द्रीय कारागृह जयपुर में आयोजित गीता ज्ञान संदेश यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। जिसमें श्री रामकृष्ण गोस्वामी, श्री चन्द साहू प्रान्तीय संयोजक व जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर ने भी भाग लिया।

दिनांक 8 सितम्बर,.2007 को *Peoples Watch Rajasthan Office* द्वारा National Project on Preventing Tourture in India के तहत् Seminar for the Law Enforcement Oficials के तहत् जोधपुर में आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

दिनांक 17.9.2007 को *University of Rajasthan* में आयोजित 21 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स के उद्घाटन समारोह में भाग लिया । समारोह में डा. एन. के. जैन, वाइस चांसलर, प्रो. सोमदेव, डा. सतीश शास्त्री, श्री एस.एस.लाल, प्रो. जी.एस. करकरा ने भाग लिया।

दिनांक 18.9.2007 को दलित विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। जिसमें आयोग के महानिरीक्षक श्री एन. मौरिस बाबू तथा कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की।

दिनांक 18.9.2007 को Sociology Department राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रो. राम आहूजा स्मृति व्याख्यान माला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। जिसमें डा. एन.के.जैन वाइस चांसलर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया।

आयोग के महानिरीक्षक द्वारा दिनांक 18.7.2007 को महिला सदन का आकस्मिक निरीक्षण, दिनांक 19.7.2007 को शिशुगृह, सामाजिक कार्य एवं अधिकारिता विभाग का आकस्मिक निरीक्षण एवं दिनांक 31.7.2007 को जनाना अस्पताल, जयपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ–साथ आवश्यक सुविधाओं एवं रिक्त पदों की पूर्ति आदि के सम्बन्ध में सुझाव दिए।

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, **सदस्यगण-** जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, **सचिव-** श्री गिरीराज सिंह, महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर।

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in **Fax :** 0141-2227738 **Tel. :** 2227565, 5104212.

Book Post